



प्रेषक,

लाल मणि यादव,

उप सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उOप्रO, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2026

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-प्रयागराज की 17 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4074/10/छ:/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21 वाल्यू-2 दिनांक 30.12.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-234/2023/1793/69-1-1764154, दिनांक 30.11.2023 द्वारा जनपद-प्रयागराज के विभिन्न वार्डों में इंटरलाकिंग/सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 17 परियोजनाओं हेतु रू0 219.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत की धनराशि अर्थात् रू0 87.96 लाख अवमुक्त की गयी थी। उक्त 17 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 105.392 लाख (रूपये एक करोड़ पाँच लाख उनतालिस हजार दो सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	टेण्डर की गयी धनराशि सेन्टेज सहित	प्रथम किश्त के यप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि। (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1	प्रयागराज	न0नि0 प्रयागराज	नैनी विनायक नगर में अमर नाथ पटेल के घर होते हुए चन्द्र प्रकाश के घर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	10.16	8.830	4.064	4.7660
2	प्रयागराज	न0नि0 प्रयागराज	मोहब्बतगंज राम निषाद के घर से आशु भारतीय के घर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	12.78	12.200	5.112	7.0880
3	प्रयागराज	न0नि0 प्रयागराज	ओम प्रकाश सभासद नगर, कालिन्दीपुरम, वार्ड नं0 71 में महावीर स्कूल के बगल में मंदिर के सामने राजेश के मकान सं0 01 जी/10 से आगे खाली प्लॉट तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.08	3.890	1.632	2.2580
4	प्रयागराज	न0नि0 प्रयागराज	ओम प्रकाश सभासद नगर, कालिन्दीपुरम, वार्ड नं0 71 प्रयागराज में हुब लाल मान सं0 01के/एस से पिरथी लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	3.14	3.002	1.256	1.7460
5	प्रयागराज	न0नि0 प्रयागराज	ओम प्रकाश सभासद नगर, कालिन्दीपुरम, वार्ड नं0 71 प्रयागराज में चमरौती टोला में रामपति मकान सं0 01 के/40 से से शम्भू के मकान सं0 01के/24 तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.03	3.840	1.612	2.2280
6	प्रयागराज	न0नि0 प्रयागराज	श्रंगारपुर नई बस्ती में तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	11.19	9.830	4.476	5.3540
7	प्रयागराज	न0नि0 प्रयागराज	गोती छरबना रोड से सर्वेश सिंह के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	23.12	18.300	9.248	9.0520
8	प्रयागराज	न0पं0 कोराव	आर0के0 वितारी नगर में हडाही घर से योगेश तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	34.73	28.940	13.892	15.0480

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9	प्रयागराज	न0पं0 कोराव	अम्बेडकर नगर में राजेश त्रिपाठी के घर हरिशचन्द्र पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.92	13.890	6.368	7.5220
10	प्रयागराज	न0पं0 सिरसा	वार्ड नं0 03 कटरा हीराराम से स्व0 सीताराम पटेल के घर से जी0आई0सी0 स्कूल तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.15	7.990	3.260	4.7300
11	प्रयागराज	न0नि0 प्रयागराज	पुर सुरदास (हनुमंत नगर), झंसी में झगडू पासी के घर से जगदीश प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	11.70	8.820	4.68	4.1400
12	प्रयागराज	न0नि0 प्रयागराज	अंदावा रेलवे लाइन के आगे अनिल सिंह के घर के बगल से राम दुलार सिंह के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	8.13	6.380	3.25	3.1300
13	प्रयागराज	न0नि0 प्रयागराज	दव नगर झूसी भगत सिंह मार्ग पर मिश्रा जी के घर से होते हुए उमेश प्रताप के घर तक सड़क का निर्माण कार्य।	8.17	6.330	3.26	3.0700
14	प्रयागराज	न0पं0 कोराव	आजाद नगर से सुभाष नगर में मोहन लाल पटेल के घर से धरकरान बस्ती तक।	17.86	15.370	7.14	8.2300
15	प्रयागराज	न0पं0 शंकरगढ़	वार्ड नं 04 में अनिल केसरवानी के घर से विजय बलुवा के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	17.78	17.240	7.11	10.1300
16	प्रयागराज	न0पं0 शंकरगढ़	वार्ड नं 03 में मेन रोड से सुरेन्द्र तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	13.94	13.700	5.57	8.1300
17	प्रयागराज	न0पं0 शंकरगढ़	वार्ड नं 09 राजा कोठी लालबाग में काली रोड से रामरती स्कूल तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	15.09	14.800	6.03	8.7700
			कुल योग	219.97	193.352	87.96	105.392

(रूपये एक करोड़ पाँच लाख उनतालिस हजार दो सौ मात्र)।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल् बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित व्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
 14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
 15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 16. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
 17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।
 18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
 19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-037, लेखाशीर्षक-2217040510400** मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना, **मानक मद-35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)

उपसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।